11 जुलाई, 2022

स्टार्टअप फंडिंग

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : आर्थिक मुद्दे	**तृतीय प्रश्न पत्र :** भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- स्टार्टअप डील ट्रैकर-Q2 CY22 शीर्षक से प्रकाशित पीडब्ल्यूसी इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार, भू-राजनीतिक अशांति का प्रभाव भारतीय स्टार्टअप पर दृष्टिगत हो रहा है।
- विदित है कि स्टार्टअप फंडिंग अप्रैल-जून की अवधि में कुल फंडिंग का 40% गिरकर 6.8 बिलियन डॉलर हो गई।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

गिरावट की प्रवृत्ति

- इस वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही से पूर्व स्टार्टअप्स में प्रति तिमाही लगभग 10-11 बिलियन डॉलर का निवेश देखा जा रहा था।
- वहीं अप्रैल-जून तिमाही में यह कुल फंडिंग का 40% गिरकर 6.8 बिलियन डॉलर हो गई।

सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप शहर

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुंबई और बेंगलुरु सामूहिक रूप से अप्रैल-जून 2022 तिमाही में कुल स्टार्टअप फंडिंग के लगभग 95% का प्रतिनिधित्व किया।
- यह भारत के तीन सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप शहर हैं, इसके बाद क्रमशः चेन्नई और पुणे का स्थान है।

भारत में यूनिकॉर्न

- कैलेंडर वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में, भारत में केवल चार फर्मों ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया, जो एक वैश्विक प्रवृत्ति को प्रतिध्वनित करता है।
- इस पिछली तिमाही में नए यूनिकॉर्न की संख्या में कमी देखी गई।
- विश्व स्तर पर वर्तमान में 1,200 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
- सास उद्योग में वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में सबसे अधिक परिचालन वाले यूनिकॉर्न हैं, इसके बाद वित्त उद्योग का स्थान है।

स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट के कारण

- रूस-यूक्रेन संघर्ष और भू-राजनीतिक अस्थिरता
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान
- तकनीकी स्टॉक मूल्यांकन में कमी
- मुद्रास्फीति दबाव और पूंजी की बढ़ती लागत

स्टार्टअप्स फंडिंग की आवश्यकता क्यों?

- प्रोटोटाइप निर्माण
- उत्पाद विकास
- कार्यशील पूंजी
- विधिक और परामर्श सेवाएं
- कच्चा माल और उपकरण
- लाइसेंस और प्रमाणपत्र
- विपणन बिक्री
- कार्यालय स्थान और व्यवस्थापक व्यय

स्टार्टअप इंडिया फंडिंग सपोर्ट

- भारत सरकार ने पूंजी उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ निजी निवेश को उत्प्रेरित करने और भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक कोष गठित किया है।
- फंड को स्टार्टअप्स (एफएफएस) के लिए फंड ऑफ फंड्स के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और जून 2016 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित किया गया था।
- विदित है कि एफएफएस सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता है, किन्तु यह पूंजी प्रदान करता है।
- सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), जिसे बेटी फंड के रूप में जाना जाता है, उच्च क्षमता वाले भारतीय स्टार्टअप में पैसा निवेश करते हैं।
- सिडबी को बेटी निधियों के चयन और प्रतिबद्ध पूंजी के वितरण की देख-रेख के माध्यम से एफएफएस के प्रबंधन का अधिदेश दिया गया है।
- फंड ऑफ फंड वेंचर कैपिटल और वैकल्पिक निवेश फंड में डाउनस्ट्रीम निवेश करता है, जो बदले में स्टार्टअप में निवेश करता है। फंड का गठन इस तरह से किया गया है, जो एक उत्प्रेरित प्रभाव पैदा करता है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने रुपये के परिव्यय के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) बनाई है। इसका उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इससे ये स्टार्टअप उस स्तर तक आगे बढ़ सकेंगे, जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सक्षम होंगे।
- यह योजना अगले 4 वर्षों में 300 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से अनुमानित 3,600 उद्यमियों का समर्थन करेगी।
- सीड फंड पूरे भारत में पात्र इन्क्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को वितरित किया जाएगा।

स्टार्टअप

स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है?

- स्टार्टअप इंडिया योजना को 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- यह लाइसेंस राज, भूमि अनुमतियाँ, विदेशी निवेश प्रस्ताव, पर्यावरण मंजूरी जैसे राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक नीतियों के निदान हेतु शुरू किया गया था।

स्रोत: द हिन्दू

आईटी कानून की धारा 69ए

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

संदर्भ

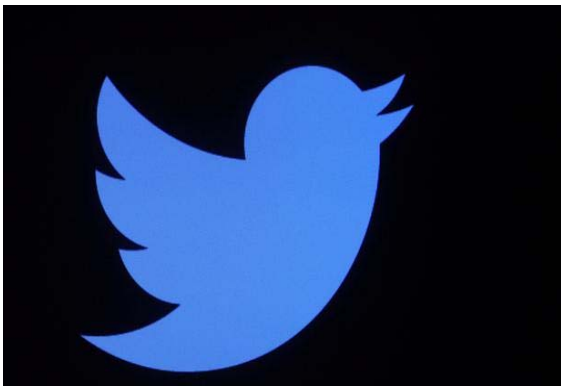

- हाल ही में, सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के आदेश को चुनौती दी है।
- विदित है कि ट्विटर ने अपने प्लेटफार्म से 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील की है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फरवरी 2021 से फरवरी 2022 के बीच ट्विटर को 10 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए।

- सरकार के वर्तमान आदेशानुसार, कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के तहत 1,400 से अधिक खातों और 175 ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय में अपील

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को लोगों द्वारा कुछ चुनिंदा जानकारियों तक पहुंच अवरुद्ध करने को कहा है। इसमें कई अकाउंट को निलंबित करना भी शामिल है।
- कंपनी ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया है।
- अपनी याचिका में कंपनी ने कहा कि कई यूआरएल ऐसे हैं, जिनमें राजनीतिक और पत्रकारिता संबंधी सामग्री है। इस तरह की सामग्री को हटाना मंच पर दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।
- कंपनी ने कहा कि कई मामलों में मंत्रालय ने प्रतिबंधित करने से जुड़े आदेश में उचित कारण भी नहीं बताए हैं, जो धारा 69ए के अंतर्गत आवश्यक है।
- आदेश के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे आईटी कानून की धारा 79(1) के तहत मिली संरक्षा को वापस ले ली जाएगी और गंभीर परिणाम भुगतने के साथ ही आपराधिक कार्यवाही का भी सामना करना होगा। यद्यपि, ट्विटर ने कहा कि उसने सरकार के आदेशों का पालन किया है, लेकिन 11 अकाउंट के संदर्भ में उसने आपत्ति व्यक्त की है।
- ज्ञातव्य है कि इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने 10 ट्विटर अकाउंट को प्रतिबंधित करने के अपने आदेश को वापस ले लिया।

आईटी अधिनियम की धारा 79(1)

- आईटी अधिनियम की धारा 79(1) मध्यस्थों को तृतीय पक्षों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री से उन्मुक्ति प्रदान करती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 में उल्लिखित है कि कोई भी सोशल मीडिया मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक, जो उपलब्ध या होस्ट किया जाता है, कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत नहीं होगा

- इसके अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा लागू होगी, यदि उक्त मध्यस्थ किसी भी तरह से संदेश के प्रसारण की पहल नहीं करता है, प्रेषित संदेश के रिसीवर का चयन करता है और प्रसारण में निहित किसी भी जानकारी को संशोधित नहीं करता है।
- सरल शब्दों में, व्याख्या की जाये तो यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना किसी हस्तक्षेप के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश प्रेषित करने के लिए सेतु का कार्य करता है, तो यह किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

वैश्विक मानदंड

- 1996 के संचार शिष्टाचार अधिनियम की धारा 230 में उल्लिखित है कि "किसी भी इंटरैक्टिव कंप्यूटर सेवा के प्रदाता या उपयोगकर्ता को किसी अन्य सूचना सामग्री प्रदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी के प्रकाशक या वक्ता के रूप में नहीं माना जाएगा"।
- इसका आशय है कि मध्यस्थ केवल एक किताब की दुकान के मालिक की तरह काम करेगा, जहां वह उपलब्ध सामग्री के लिए जवाबदेह या जांच नहीं करेगा।

वैश्विक पार्दर्शिता रिपोर्ट

- ट्विटर के हाल ही में प्रकाशित वैश्विक पार्दर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से लेकर जून के बीच जिन देशों ने कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा ट्विटर पोस्ट्स हटाने के निर्देश जारी किए, उनमें भारत चौथे स्थान पर है।
- इस दौरान ट्विटर को दुनियाभर से सामग्री हटाने की 43 हजार 387 नोटिस मिले।
- इनके माध्यम 1 लाख 96 हजार 878 अकाउंट्स और उनसे जुड़े पोस्ट्स पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर प्राप्त शिकायतों में 11 फीसदी हिस्सा भारत का था।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत की संसद द्वारा 9 जून 2000 को कार्यान्वित किया गया था। यह 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हुआ।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करती है।
- यह कानून भारत में साइबर-अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।
- गृह मंत्रालय के दिसंबर, 2018 को जारी एक आदेश के अंतर्गत दस केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वे किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित सामग्री की निगरानी करें, प्रसारित होने से रोकें और आवश्यक होने पर डिकोड करें।
- इस धारा के अंतर्गत, अगर केंद्र सरकार देशहित में भारत की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े मुद्दे, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े मामलों और विदेश संबंध को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश जारी करता है, तो यह सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए बाध्यकारी होगा।

स्रोत: द हिन्दू